

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली  
दिनांक: ०१/०२/२०२२

विषय: प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ख') राजपत्रित के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक सूचना राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र) एनसीडीसी (में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या AB.14017/61/2008-स्था आरआर (के अनुपालन में। दिनांक 13.10.2015, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र) एनसीडीसी (, दिल्ली 110054 - प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ख') राजपत्रित पद के पद के लिए भर्ती नियम आदि युक्त मसौदा अधिसूचना संलग्न हैं।

2. मसौदा भर्ती नियमों पर यदि कोई साझेदार किसी प्रकार की आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव देने के इच्छुक हों तो मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर श्री मनीष कुमार, अवर सचिव, स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 752-ए, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को लिखित में दे सकते हैं या manish.kr01@gov.in, publichealth2@yahoo.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

मनीष  
(मनीष कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार  
(Manish Kumar)  
दूरभाष - 011 22063068  
Under Secretary  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  
Ministry of Health & Family Welfare  
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011  
Nirman Bhawan, New Delhi-110011

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)  
(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, ०१/०२/२०२१

सा.का.नि..... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली में (श्रेणी-ख पद) भर्ती नियम 1970, जब तक ये नियम प्रशासनिक अधिकारी के संबंध में हैं, से संबंधित कार्य जो हो चुके हैं या नहीं करने हैं को स्थगित करते हुए, इसके स्थान पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, एन.सी.डी.सी. दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारी, (समूह 'ख' राजपत्रित पद), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये स्वासेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम – राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली, प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित पद) भर्ती नियम–2021 .

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या उक्त पदों के साथ संलग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि – भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. आयोग्यता – वह व्यक्ति—

क जिसने ऐसे किसी व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

ख जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, हो सकता है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, एवं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों का, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं होगा, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

मनीष

(मनीष कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष No. 23062069

अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

Ministry of Health & Family Welfare

निर्मान भवन, नई दिल्ली-११००११

Nirman Bhawan, New Delhi-110011

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली	2. 2021	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', * कार्यमार के राजपत्रित, आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	वेतन मैट्रिक्स (47600—109100 रुपए) में स्तर—8 (पूर्व-संशोधित पीबी-2(9300-34800) जीपी-4800)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवेश की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	2 वर्ष	पदोन्नति पर अन्यथा प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।

(11)	
<p>पदोन्नति:-</p> <p>राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में पे मैट्रिक्स के सहायक प्रशासनिक अधिकारी स्तर 7 ग्रेड में 2 साल की नियमित सेवा के साथ या</p> <p>एनसीडीसी में एओ और अधीक्षक के रूप में 6 साल की संयुक्त सेवा</p> <p>या</p> <p>अधीक्षक, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 के साथ ग्रेड में 6 साल की नियमित सेवा;</p> <p>प्रतिनियुक्ति:-</p> <p>केंद्र / राज्य सरकार के तहत अधिकारी।</p> <p>(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करना या</p> <p>(ii) लेवल -7 या लेवल -6 के पदों पर क्रमशः 2/6 साल की नियमित सेवा के साथ</p> <p>(iii) स्थापना और सामान्य प्रशासन कार्य का अनुभव होना। (प्रतिनियुक्ति की अवधि - आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं।)</p>	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
1. समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)	आवश्यक नहीं है।
1. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र के अतिरिक्त निदेशक के पद पर अधिकारी — अध्यक्ष 2. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र के संयुक्त निदेशक के पद पर अधिकारी — सदस्य 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के उप-निदेशक (प्रशासन) वर्ग के अधिकारी — सदस्य 4. सहायक निदेशक, (प्रशासन), एन.सी.डी.सी. दिल्ली — सदस्य	

फ़ाइल (क) | 12018/3/2019-पीआरसी) ( ए.ओ)

मनीष

(मनीष कुमार)  
अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष (011) 23062068  
(Manish Kumar)

अवर सचिव  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  
Ministry of Health & Family Welfare  
निर्मान भवन, नई दिल्ली- 110011  
Nirman Bhawan, New Delhi-110011